

//1//
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : - देवीलाल यादव (R.A.S.)

राजस्व प्रकरण संख्या : - 32/2023

उनवान

विकास कुमार पुत्र शिवचरण जाति माहेश्वरी नि० ग्राम रामसर, नसीराबाद

— प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री फारुक खत्री

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

— अप्रार्थी :- जरियें राज० पैरोकार



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: आदेश :-

दिनांक :- 6/5/24


प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर तहसील, नसीराबाद, अजमेर के हाल खसरा नम्बर 9766/5062 रकबा 0.10 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी खसरा नम्बर 5097 व 4906 रास्ते की भूमि से होकर सिवायचक भूमि हाल खसरा नम्बर 5083 व 5070/1008 का उपयोग करता है। खसरा नम्बर 4706 में से पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 4708 की सीमा से सटाकर आवागमन करते हैं। राजस्व रेकार्ड में उक्त मार्ग का अंकन नहीं है। उक्त भूमि पर से मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग मौके व रेकार्ड पर नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को खसरा नम्बर 5083 व 5070/10008 में से आवागमन हेतु 30 फिट चौड़ा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार हाल खसरा नम्बर 5067 रकबा 0.12 व 9766/5062 रकबा 0.10 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी में है। खसरा नम्बर 5070/10008 रकबा 0.02 किस्म गै.मु. मोरी, 5083 रकबा 0.46 रकबा किस्म बीड, 5097 रकबा 0.12 किस्म गै०मु० रास्ता व 4906 रकबा 0.17 किस्म गै.मु. रास्ता सिवायचक खाते में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 5083 व 5070/10008 सिवायचक में से रास्ता चाहा है। खसरा नम्बर 5070/10008 की किस्म गै.मु. मोरी है। उक्त खसरा नम्बर प्रतिबंधित श्रेणी में आने से मार्ग दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 5083 पर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नसीराबाद के दिवानी प्रकरण संख्या 70/2023 रामदेव बनाम पूरणमल के अन्तर्गत स्थगन आदेश दिया हुआ है। अतः उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश पारित करने से वाद बहुलता होगी। तहसीलदार

—2


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

//2//

नसीराबाद द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश की पालना भी सिविल न्यायालय के आदेश अनुसार नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रकरण इसी स्तर पर इस आशय से खारिज किया जाता है कि माननीय सिविल न्यायालय के आदेश के पश्चात अथवा अन्य वैकल्पिक मार्ग हेतु नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी स्वतंत्र रहेगा। नवीन प्रार्थना पत्र पर यह आदेश अप्रभावी रहेगा। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

